


12
1924

प्राक्ती पेश। वकालत वादी/वादी को आवाज
लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाते के बावजूद
भी वकालत वादी/वादी न्यायालय में उपस्थित
नहीं होने पर वादी का वाद आदम हाजरी
आदम रैली में स्वारिज किया जाता है।
प्राक्ती फॉसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दारिदर हो।  .